



जिला शिक्षा प्रदाधिकारी कार्यालय | MUZAFFARPUR  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
B.M.P.- 6

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 10 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 26-09-2025 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 13-02-2026 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय DOLPHIN PUBLIC SCHOOL, B.M.P.- 6, KANHAULI, 842001 को कक्षा 1 से 8 तक संघातन हेतु तीन वर्ष 13-02-2026 से 13-2-2029 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उद्घट बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

*Shamshi Kumar*  
Manager  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6, KANHAULI, MUZ

*Sc*

*Rita Verma*  
Principal

Dolphin Public School (10+2)  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 2.05 हेक्तामीटर

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 2.05 हेक्तामीटर

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- FOOTBALL, VOLLEYBALL, BADMINTON, KIDS PLAY ITEMS, CHESS, CARROM, HO WATER ETC.

(IV) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 25

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 6

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 20 , Girls 20

(VII) पेयजल की सुविधा :- 10

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच, [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- , Badminton, Volleyball, Cricket set, Carrum, Ludo, Chess, Exercise Items, etc. , ( Y . 8000 , NewsPaper MagaZine :- 10 )

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [ 21612122021823113108-2025-2026, 2025 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

(1)

विश्वास भाजन  
हो ।-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUZAFFARPUR  
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NO LETTER

*Lusheet  
DPO, SSA*

*Shareen us Kumer*  
**Manager**  
**DOLPHIN PUBLIC SCHOOL**  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6, KANHAULI, MUZ

*Rita Verma*  
**Principal**  
**Dolphin Public School (10+2)**  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001



## Letter Details

NO : CBSE/330395/EX-02266-2223/2022-23/

Dated: 29/07/2021

The Manager,  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL KANAHAULI MUZAFFARPUR BR  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL, BMP-6 KANAHAULI,  
BIHAR, MUZAFFARPUR, 842002  
(M: 0621-2280787)

**SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.**

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	330395
School No	65369
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027

The above sanction is subject to fulfilment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbse.nic.in/> & <http://cbseacademic.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.  
"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

*Shalee Devi Kumer*  
Manager  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6, KANAHAULI, MUZ

1

*Rita Verma*  
Principal  
Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with 'H' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
<p>The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.</p> <p>The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.</p> <p>For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet</p>				

Important Notes : 1. The school must maintain the Mandatory Public Disclosure as per Appendix IX and link of documents must be operational. 2. The Extension of Affiliation is granted in light of Circular No. 13/2021 dated 27.07.2021 subject to compliance of conditions mentioned in the said circular. The school must upload the valid certificate under Mandatory Public Disclosure on school website and not remove the same from respective links in future.

School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

*Shashi Kumar*  
Manager  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.6, KANHAULI, MUZ

2

*Rita Verma*  
Principal  
Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

MOB : 9334908931\*9471884464

Email:engguday.singh@gmail.com

# DESIGNER & CONSULTANT

OFFICE : - NARAYANI MARKET, JAWAHAR LAL ROAD, MUZAFFARPUR - 842001


ER. UDAY PRATAP SINGH  
Bsc. ENGG. (CIVIL), FIV, MIE  
Chartered Engineer.

REF :DC/STR.C/15/2023  
DATE: 18/08/2023

TO WHOM IT MAY BE CONCERN

This is to certify that the construction of the School Building of Dolphin Public School,  
At: -B.M.P 6 ,Kanhauri, Muzaffarpur-842001 ,P.O – Mithanpura ,Circle- Mushahari  
Ward- 49,Khata no:-858,162,Khesra-1924.1945 Total Area= 204.02 Deci.  
Running under :Sadhyadeep Education Society,vill- Sohijan,P.O.- Amma, thana -Hathaudi,  
Dist: Muzaffarpur. Application no-33095  
Contact nos:9431474216,9102999570  
Under society Registration Act- 1145/2007-08  
Total builtup Area = 56x132 = 7392.00Sft  
Constructed School Building is G+3  
The building has been constructed under my supervision.  
I have inspected again the school Building.it is in very good condition.  
I have examined and found all R.C.C. Stiffener. Beams, Lintels, Brick works in good condition  
And it is strong enough to run the school.

*Sharan Singh*  
**Manager**  
**DOLPHIN PUBLIC SCHOOL**  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P-6, KANHAULI, MUZ



*Uday Pratap Singh*  
[ ER. UDAY PRATAP SINGH ]

**Er. Uday Pratap Singh**  
Bsc. Engg. (Civil), MIE FIV  
Registered Structural Engineer  
Licence No-C-04/2015

*Rita Sharma*  
**Principal**  
Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauri, Muz.-842001





Nº 908525

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(रेक्ट 21, 1860)

संख्या 1145

वर्ष 2007-08

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 'सांख्यदीप इंस्टीट्यूट ऑफ़  
साइंसाइटी' ग्राम - सांखीजन, पो. - अम्मा,  
थाना - हथौड़ी, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार

सांसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख तीसरे मास अक्टूबर वर्ष 2007 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के  
साथ दिया गया।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21, 1860 के  
अधीन निबन्धित किया गया प्रमाण-पत्र संस्था का  
निबन्धन नहीं है। निबन्धन का प्रमाण  
पत्रानुसार प्रमाणित है। या ना होना का प्रमाण  
या विस्तृत सहायता के प्रायोजन हेतु  
अन्यथा नहीं माना जाएगा।

पास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

दि. २०.१०.०७ (निबन्धन) 1

Principal  
Dolphin Public School (1072)  
Aff. No. 393395/Sch. No. 66369  
B.M.P.S., Kankhauri, Muz. 242001

Shamir Khan  
Manager  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.S. KANKHAURI, MUZ.

# SANITATION CERTIFICATE

Certificate of Sanitation & Safe Drinking Water

Name of Organisation:

Dolphin Public School

Address :

B.M.P.-06, Kanhauli, Mushari,  
Muzaffarpur.

Phone No.:

9102999570 / 9431474216

e-mail Address:

65369@cbseshiksha.in

Kind of Organisation :

School

I .....Dr. Preeti.....Incharge Medical Officer / Health Inspector of  
Mushhari Block, Muzaffarpur certified that I have inspected **Dolphin Public School,**  
**B.M.P.-06, Kanhauli, Muzaffarpur** and have reviewed it thoroughly. After  
observation, I found all kind of Sanitary arrangements in very good condition and is fit  
for running a school in the children health as well public health point of view.

I, further, certify that the there is availability of safe & clean drinking water system  
including water cooler own water plant and aqua guard in school campus, providing  
water with 452 TDS.

This certificate is issuing on the base of request from the Principal of **Dolphin Public**  
**School, B.M.P.-06, Kanhauli, Muzaffarpur** and personal findings in inspection by  
the undersigned on ...14-08-2025..... with effect from ...16-08-2025  
for a period of ...one... year.

Memo No. 601.....

Mushhari dated : ..18-08-2025.....

Signature :

Name :

Designation :

Issuing date:

BW  
14/8

18.8.25  
**प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी**  
**प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुशहरी**  
**मुजफ्फरपुर**

Rita Verma

Principal

Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

Shasay mis Kumar  
**Manager**  
**DOLPHIN PUBLIC SCHOOL**  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
**B.M.P. & KANHAULI, MUZ**



कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पत्रांक/ऑडिट- MZ2025A06871

दिनांक- 10/11/2025



0612-2222020

sfo cum director-bih@gov.in

सेवा में,

Dolphin Public School / Dolphin Public School

BMP 6 KANHAULI MUZAFFARPUR / BMP 6 KANHAULI MUZAFFARPUR, Muzaffarpur, 842001

Email id: dolphinsnaps@gmail.com, Mob No.: 9431474216

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक 01/09/2025 को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 01/09/2025 को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता दिनांक 31/08/2026 को समाप्त हो जायेगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह/-

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

01. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

*Shamini Kumar*  
**Manager**  
**DOLPHIN PUBLIC SCHOOL**  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6, KANHAULI, MUZ

*Rita Verma*  
**Principal**  
**Dolphin Public School (10+2)**  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

Digitally signed by Meghavath  
Sunil Kumar Nair  
Date: 2025.10.14:22:28 +05:30  
Patna

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
बिहार, पटना।

भारतीय गैर न्यायिक



एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIAN NON JUDICIAL



322 दिनांक 29-8-2023 रु. के मा 100 पर  
सन्ध्यदीप श्रुतिशाला सोसायटी की सहायता  
योजना के अंतर्गत मुद्रा 9000 रु. के अंतर्गत  
विक्रम कुमार मुद्रांक बिक्री  
नि. कार्यो मजफरपुर लोक नो-1/95

Z 670418

Dated 29 AUG 2023

Book No. 02 S.No. 02

Before

The Executive Magistrate

Muzaffarpur East, Muzaffarpur

I, Ashok Kumar Sahi Son of Nageshwar Sahi, aged about 55 years Resident of Mohalla-Imlichatti, Juran Chapra, Muzaffarpur, Secretary of the Society "Sandhyadeep Educational Society" Muzaffarpur do hereby solemnly affirm and declare that :-

1. That I am the secretary of "Sandhyadeep Educational Society" Muzaffarpur registered under the Society Registration Act 1860 and I am duly authorized by the Executive Committee of the Society to execute this affidavit for an on behalf of the society.




2. That there presently following SEVEN Members of the Society  
"Sandhyadeep Educational Society"

1. Smt. Abha Sinhn (Chairperson)
2. Ashok Kumar Sahi (Secretary)
3. Shri Samrendra Vats (Joint Secretary)
4. Vinod Kumar Choudhary (Treasure)
5. Shri Dharam Vir Kumar (Member)
6. Shri Deepak Kumar (Member)
7. Shri Santosh Kumar (Member)

3. That no two members of the Executive committee of the society are related to each other. Hence the society is of non-proprietary character existing solely for the public charitable purposes.

4. That the in paragraphs 1 to 3 above are true and are correct to the best of my knowledge and belief.



*Ashok Kumar Sahi*

Ashok Kumar Sahi

(Secretary)

"Sandhyadeep Educational Society"

Deponent

I known and identify the deponent who has signed in present

*Reena Kumari Sinha*

Advocate

29/08/23

The Deponent identified by Advocate, has solemnly affirmed declared before me

*R.K. Sinha*  
29/08/2023  
Reena Kumari Sinha  
CIVIL COURT, MUZ.  
Notary Regd-6769/J/2022

प्रेषक,

दशरथ राम  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 30/6/2011

विषय : डॉल्फिन पब्लिक स्कूल, वी०एम०पी०-6, कन्हौली, मुजफ्फरपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा डॉल्फिन पब्लिक स्कूल वी०एम०पी०-6, कन्हौली, मुजफ्फरपुर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षापरान्त स्थिति निम्नवत है -

1. यह विद्यालय सांध्य दीप एजुकेशनल सोसाइटी के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ग्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 2.04 एकड़ डिसमिल भूमि 46 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 24 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे टयशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार-जितकी आय 2,00,000/- रूपया प्रतिवर्ष कम-होगा को रखा गया है।
  - (ii) विद्यालय में नर्सरी/क० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
  - (iii) नर्सरी/क० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
  - (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर यह सुनिश्चित होवे कि विद्यालय अपने निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।
9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय को द्वारा अपनी सहायता एवं अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसपेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के पालन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।
12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर डॉल्फिन पब्लिक स्कूल वी०एम०पी०-6, कन्हौली, मुजफ्फरपुर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का जांच प्रतिवेदन तलवात

Manager  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
V.O.M.P.I-6, KANHAULI, MUZ  
30/06/2011

विशेष निदेशक  
(द्वारा रम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक-529 दिनांक 06.06.11 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापक

513

दिनांक

30/06/2011

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि : प्राचार्य, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल, वी०एम०पी०-6, कन्हौली, मुजफ्फरपुर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rita Verma  
20.06.2011  
Principal

Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No. 330395/Sch. No. 65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Estd-1997

9431474216, 9102999572

# DOLPHIN PUBLIC SCHOOL

B.M.P.-6 KANHAULI, MUZAFFARPUR-842001 (BIHAR)

E-mail : dolphin.school.muzaffarpur@gmail.com

SCH. No.-65369

(Affiliated to C.B.S.E. New Delhi upto +2) Aff. No. : 330395, School No. : 50302

Ref...DPS/L-1381/ April/ 2026

Date 20/04/2026

## LAST THREE - YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION

DETAILS	AISSE CLASS - X			AISSCE CLASS - XII		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
TOTAL APPEARED:-	84	100	120	80	76	
TOTAL PASS :-	80	96	118	80	60	
PASS %	95	96	98.5	100	80	
90% & ABOVE :-	17	7	10	4	11	
80% & ABOVE :-	11	23	40	15	21	
60% & ABOVE :-	33	66	65	39	28	

Ashwary ni Kumari  
**Manager**  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6 KANHAULI, MUZ.

Rita Nepina  
20-04-26  
**Principal**  
Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
R.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001



Estd-1997

9431474216, 9102999572



# DOLPHIN PUBLIC SCHOOL

B.M.P.-6 KANHAULI, MUZAFFARPUR-842001] (BIHAR)

E-mail : dolphin.school.muzaffarpur@gmail.com

SCH. No.-65369

(Affiliated to C.B.S.E. New Delhi upto +2) Aff. No. : 330395, School No. : 50302

Ref..DPS/L-1380/npsl.2026

Date.20/04/2026

## LIST OF PARENTS TEACHERS' ASSOCIATION (PTA) MEMBERS

### PARENTS LIST

- 1 Mrs. Ruma Verma
- 2 Mr. Rajesh Kumar Raju
- 3 Mr. Amrendra Kumar
- 4 Mr. Ranveer Mahto
- 5 Mrs. Hema Himanchal

### TEACHER'S LIST

- 1 Mr. Rabindra Jha
- 2 Mr. R. B. P. Sharma
- 3 Mrs. Gulfeshan Zeba
- 4 Mr. Ajoy Kumar Singh
- 5 Mr. Amol Kumar
- 6 Mrs. Binita Sharma

*Shree ni kumar*  
**Manager**  
DOLPHIN PUBLIC SCHOOL  
Aff. to C.B.S.E., DELHI  
B.M.P.-6 KANHAULI, MUZ

*Rita Sharma*  
20.04.26  
**Principal**  
Dolphin Public School (10+2)  
Aff. No.-330395/Sch. No.-65369  
B.M.P.-6, Kanhauli, Muz.-842001

!! न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते !!




Scanned with OKEN Scanner



15,575 253-76 100/-  
जन्म तिथि..... फिजिकल..... लिंग.....  
पति का नाम..... पता.....  
जन्म तिथि..... पता.....  
जन्म तिथि..... पता.....  
जन्म तिथि..... पता.....

AS 720191  
श्री अशोक कुमार साही  
सोसाईटी सेक्रेटरी  
आमरचण्ड 5/मि. 02/20



22534  
24/4/24


Before

**The Executive Magistrate**

Muzaffarpur East, Muzaffarpur

I, Ashok Kumar Sahi Son of Late Nageshwar Sahi, aged about 58 years Resident of Mohalla-Imlichatti, Juran Chapra, Muzaffarpur, Secretary of the Society "Sandhyadeep Educational Society" Muzaffarpur do hereby solemnly affirm and declare that :-

1. That I am the secretary of "Sandhyadeep Educational Society" Muzaffarpur registered under the Society Registration Act, 1860 and I am duly authorized by the Executive Committee of the Society to execute this affidavit for an on behalf of the society.



2. That there presently following ELEVEN Members of the Society  
“Sandhyadeep Educational Society”

1. Smt. Abha Sinha (Chairperson)
2. Ashok Kumar Sahi ( Secretary )
3. Ruma ( Joint Secretary )
4. Vinod Kumar Choudhary (Treasure )
5. Sandhya Pandey ( Member )
6. Shri Deepak Kumar ( Member )
7. Shri Santosh Kumar ( Member )
8. Dilip Jha ( Member )
9. Ratan Singh ( Member )
10. Uday Kumar ( Member )
11. Amrendra Kumar ( Member )

3. That no two members of the Executive committee of the society are related to each other. Hence the society is of non-proprietary character existing solely for the public charitable purposes.

4. That the in paragraphs 1 to 3 above are true and correct to the best of my knowledge and belief.



*Ashok Kumar Sahi*

Ashok Kumar Sahi

( Secretary )

“ Sandhyadeep Educational Society”

Deponent



On. W/o. S/o. .... Dist. ....  
Village. .... P.S. ....  
Whose identity is true. ....  
Advocate today appeared in my court  
before me and sworn Affidavit that all the  
facts Presented in the Affidavit are true and  
Some of its portion false

I known and identify the deponent who has

signed in present

*Muzi Bhushan*  
Advocate en-599/96

*27/4/24*

*[Signature]*  
Executive Magistrate  
Muzaffarpur (East)  
Muzaffarpur